प्रेषक,

एस0एस0बल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 04 /VI-I/2006-2(18)2006

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग:

देहरादून दिनांक 23 मार्च 2007

विषयः जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के स्थान छाना मैट में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 986 /सात-1439 / 2006-2007,दिनांक 05 दिसम्बर 2006के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के स्थान छाना मैट में मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अल्मोड़ा अल्मोड़ा ईकाई उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 60.20 लाख के आगणन के तकनिकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 54.00 लाख (रू0 चौवन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में रू0 9.64 (रू0 नौ लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म हैं, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ताओं से अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय। निर्माण कार्य के न्यूनतम तीन चरणों के छायाचित्र निर्माण इकाई द्वारा वित्तीय /भौतिक प्रगति के साथ उपलब्ध कराये जायेगें, यथा निर्माण कार्य के पूर्व कर रिक्त भूमि का चित्र,निर्माण के मध्य का चित्र व पूर्ण निर्मित योजना का चित्र।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई हैं, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

9. जी0पी0डब्लु फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा। कार्यदायी संस्था से चरणबद्ध निर्माण कार्य पूर्ण करने का कार्यक्रम धनराशि व्यय करने के पूर्व प्राप्त कर लिया जाय। इस कार्यक्रम के अनुरूप वित्तीय व भौतिक प्रगति के उपरांत ही द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।

10. निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।

11. निर्माण हेतु भूकम्प रोधक प्राविधानों का कढ़ाई से पालन किया जायें।

12. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि की उपलब्धता हैं अथवा नहीं, /धनराशि का आहरण भूमि की उपलब्धता पर ही किया जायेगा।

13. सामग्री क्रय में स्टोर पर्चेज नियमों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

14. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायें कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

15. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों नियमों के अनुसार ही व्यय किया जायें। जहां आवश्यक हो, वहां सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायें। वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

16. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती हैं कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. जहां आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन योजना पर एवं वित्तीय व्यय की प्रस्ताव पर प्राप्त कर लिया जायेगा। जहां निर्माण कार्य किये जाने हों वहां आगणनों पर शासन का अनुमोदन नियामनुसार प्राप्त किया जायेगा। सामग्री एवं उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और यह दरें न होने की स्थिति में टेण्डर (कोटेशन)विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

18. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XVI–219(2000)दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

19. इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2006–2007 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2204– खेलकूद तथा युवा सेवायें –00–001 निदेशन तथा प्रशासन –07– ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम–00––24–बृहद निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

20. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या 1402 वित्त XXXVII–(3)/2006 दिनांक 22 मार्च 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्याः–०५/VI-I/2006–2(13)2006 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून।
3– निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

23030707020